निर्णय लोक अदालत न्याय आपके द्वार

श्री के.आर.चौहान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(RAS)देवगढ़

केम्प पारड़ी

प्र.सं 15/2018 रे.वाद निर्णय दिनांक 15.05.2018

अनवान

1. श्री धर्मानाथ पिता समन्दरनाथजी जोगी नि. नान्दवा तह. देवगढ़

.........वादी

बनाम

1. श्री विनोदवन पिता मदनवन जोगी नि. नान्दवा तह. देवगढ़ जरिये संरक्षक माता श्रीमति मेमादेवी पत्नि श्री मदनवन जोगी नि. नान्दवा तह. देवगढ़
2. श्री गोरखवन पिता मदनवन जोगी नि. नान्दवा तह. देवगढ़ जरिये संरक्षक माता श्रीमति मेमादेवी पत्नि श्री मदनवन जोगी नि. नान्दवा तह. देवगढ़
3. श्रीमति मेमादेवी पत्नि मदनवन जोगी नि. नान्दवा तह. देवगढ़ जि. राजसमंद

.........प्रतिवादीगण

रे.वाद अर्न्तगत धारा 88–89 राज. ले. रे. एक्ट

उपस्थितः– वकील वादी श्री प्रदीप कुमार

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प पारड़ी में पेश हुई। वादी व प्रतिवादी सं. 3 मेमादेवी मय अधिवक्ता वादी श्री प्रदीपकुमार के उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया विवरण संक्षेप में इस प्रकार पेश हैं।

ग्राम नान्दवा प.ह. पारड़ी त.देवगढ़ में हैं, जिसके आराजी नं. 18 व 19 रकबा क्रमशः 0.08 व 1.15 कुल किता 2 कुल रकबा 2.03 बीघा भूमि हैं। प्रतिवदी सं. 3 के पति स्व. मदनवन पिता मन्नूदन जोगी नि. नान्दवा से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.12.2011 को खरीद की। वक्त खरीद से ही भूमि पर वादी का निरन्तर व निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। किन्तु वादी को कानून की जानकारी नहीं होने व वादी के बाहर मजदूरी करने चले जाने से भूमि को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद नहीं करा पाया। मदनवन का स्वर्गवास हो जाने से वादी द्वारा खरीदशुदा भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गई। उक्त कुलिया में भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा खरीदशुदा हैं। वादी को राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त करने व पटवारी से सम्पर्क करने पर वादग्रस्त भूमि उसके नाम दर्ज नहीं होने की जानकारी हुई।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प पारड़ी नियत किया जाकर पक्षकारान को सूचना पत्र जारी किये गये। कैम्प में वादी व प्रतिवादी सं. 3 उपस्थित हुऐ जिन्होंने आपसी राजीनामे के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया तथा आपसी राजीनामा पेश किया। वादी की पहचान वकील प्रदीपकुमार ने व प्रतिवादी की पहचान श्री भोजाराम गुर्जर सरपंच ने की। प्रतिवादी सं. 1 व 2 विनोदवन व गोरखवन पिता मदनवन जोगी नाबालिग हैं जिनकी संरक्षक प्रतिवादी सं.3 मेमादेवी पत्नि मदनवन हैं जिन्होंने राजीनामा स्वीकार किया तथा राजीनामे के आधार पर प्रकरण के निस्तारण बाबत् निवेदन किया।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं तथा इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं। कि ग्राम नान्दवा प.ह. पारड़ी त.देवगढ़ में स्थित आराजी नं. 18 व 19 रकबा क्रमशः 0.08 व 1.15 कुल रकबा 2.03 बीघा

सहायक कलेक्टर

भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार डिक्री जारी की जावें। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प पारड़ी में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलक्टर
देवगढ़ जिला राजसमंद